

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-19
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100462

दिनांक: 22/01/2026

लोक सूचना

श्री MEGHRAJ PAREWA पुत्र श्री RAM LAL PAREWA जाति KHATIK निवासी KHATIKO KA MOHALLA MAHLAN JAIPUR

श्री NARAYAN LAL पुत्र श्री MANGAL CHAND जाति REGAR निवासी WARD 9 VILL. DEVLA TEH. MAUJAMAABAD BORAJ JAIPUR

श्री KAILASH पुत्र श्री NARAYAN MEENA जाति MEENA निवासी DAROGA KI DHANI MAHLAN MAHLAN JAIPUR

श्री JITENDRA KUMAR MAHAWAR पुत्र श्री DEV NARAYAN MAHAWAR जाति KOHLI निवासी 48 VARDHMAN NAGAR SUMEL ROAD JAMDOLI PO: LUNIAWAS JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बोराज, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) कैलाश पुत्र नारायण मीणा हिस्सा पूर्ण जाति मीणा दारोगा की ढाणी महला मौजमाबाद जयपुर खातेदार	3940/1898	1.2644	1.22
2.	बोराज, मौजमाबाद (जयपुर)	2.) नारायण लाल पुत्र मंगल चंद हिस्सा 1 / 4 जाति रैगर नि. वार्ड नम्बर 9 गाँव देवला तहसील मौजमाबाद दूदू जयपुर खातेदार 3.) मेघराज परेवा पुत्र राम लाल परेवा हिस्सा 1 / 2 जाति खटीक नि. खटीको का मोहल्ला महलां जयपुर खातेदार 1.) जितेन्द्र कुमार महावर पुत्र देव नारायण महावर हिस्सा 1 / 4 जाति कोली नि. 48 वर्धमान नगर सुमेल रोड	1904	3.63	3.63

		जामडोली पोस्ट लुनियावास जिला जयपुर खातेदार			
3.	बोराज, मौजमाबाद (जयपुर)	2.) नारायण लाल पुत्र मंगल चंद हिस्सा 1 / 4 जाति रैगर नि. वार्ड नम्बर 9 गाँव देवला तहसील मौजमाबाद दूदू जयपुर खातेदार 3.) मेघराज परेवा पुत्र राम लाल परेवा हिस्सा 1 / 2 जाति खटीक नि. खटीको का मोहल्ला महलां जयपुर खातेदार 1.) जितेन्द्र कुमार महावर पुत्र देव नारायण महावर हिस्सा 1 / 4 जाति कोली नि. 48 वर्धमान नगर सुमेल रोड जामडोली पोस्ट लुनियावास जिला जयपुर खातेदार	1906	0.15	0.15
कुल					5

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **22-01-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & SANDHYA JYOTI DARPAN

प्राधिकृत अधिकारी जोन-19
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

